न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 113/2019

1. सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुगनचन्द बोहरा।

प्रार्थी

बनाम

ऋण खाता (अ)

मैसर्स न्यू शुभलक्ष्मी गारमेन्ट प्रो0 श्री धर्मेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री सुखवीर सिंह राजावत खादी भण्डार रोड दौसा जिला दौसा 303303

गारन्टर

1. श्री रमेश चंद मीना पुत्र श्री रामफूल मीना गांव देवनपाड़ा पोस्ट गोथडा जिला दौसा।
2. श्री दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री हीरा नारायण सिंह ए–51, राजविहार कॉलोनी , गुप्तेश्वर रोड दौसा।
3. श्रीमती सुष्मलता कंवर पत्नि श्री धमेन्द्र सिंह राजावत, ए–51 राज विहारी कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा 303303।

ऋण खाता (ब)

1. श्री धमेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री सुखवीर सिंह राजावत, ए–51 राज विहारी कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा 303303।

गारन्टर

1. श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना गांव देवनवाडा पोस्ट गोथडा जिला दौसा 303303।

ऋण खाता (स)

1.मैसर्स राजावत सुटिंग एवं सर्टिंग प्रों श्रीमति सुष्मलता कंवर पत्नि श्री धमेन्द्र सिंह राजावत, ए–51 राज विहारी कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा 303303।

गारन्टर

1. श्री धमेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री सुखवीर सिंह राजावत, ए–51 राज विहारी कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा 303303।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री गौरव जैन, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक।
श्री नरेश कुमार , अधिवक्ता अप्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह।

आदेश

दिनांक: 23.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणीगण मैसर्स न्यू शुभलक्ष्मी गारमेन्ट प्रो. श्री धमेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री सुंखवीर सिंह राजावत व अन्य को ऋण खाता(अ) रूपये 20,00,000 ऋण खाता (ब) रूपये 10,00,000 ऋण खाता(स) रूपये 10,00,000 तीनो खातों मे कुल रूपये 40,00,000/(रूपये चालीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणीगण द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा एवं अधिवक्ता अप्रार्थी को सुना गया। हमने प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ऋण चुकाने एवं प्रार्थी द्वारा प्रेषित नोटिस अंतर्गत धारा 13(2) के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील करने संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। अतः अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लाट नं0 88 खसरा सं0 2180 नगर परिषद दौसा द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 02.01.2015 आवासीय भूमि जो कि राजविहार कॉलोनी रामपुरी द्वितीय, गुप्तेश्वर रोड, रेवेन्यु गांव दौसा कलां जिला दौसा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 115 वर्गगज है जो कि धर्मेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री सुखवीर सिंह राजावत के नाम से है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा